भारत में लोकतांत्रिक व्यवस्था और चुनाव

सुरेन्द्र कुमार
शोध छात्र, राजनीति विज्ञान विभाग
मेरठ कॉलिज, मेरठ (उ0प्र0)
ईमेलः

सारांश

चुनाव हो और मतदान या वोटिंग का जिक्र न हो, ऐसा तो हो ही नहीं साकता। वोटिंग को आज जिस रूप में विभिन्न देशों ने अपनाई है, इसकी शुरूआत उस रूप में नहीं हुई थी। वोटिंग ईसा के जन्म से भी काफी पहले से प्रचलित है, लेकिन तब प्रत्याशी ''हमें वोट दो'' नहीं कहते थे। तब वे यही दुआ करते थे कि उन्हें ज्यादा वोट न मिलें।

मतदान वोटिंग की शुरूआत यूनान में हुई ऐसा माना जाता है। यहीं पर 508 ई0पू0 में क्लीसथेनिस ने लोकतंत्र का पौधा रोपा था। वहाँ मतदान करने का उद्देश्य किसी राजनीतिक को चुनना नहीं बल्कि उसे दस साल के लिए निर्वासित करना था। तब ''औस्ट्राका'' पर वोट लिखे जाते थे और जिस व्यक्ति को 06 हजार से अधिक वोट मिल जाते थे उसे 10 साल के लिए निर्वासन भोगना पड़ना था। अगर कोई भी व्यक्ति 06 हजार से अधिक मत हासिल नहीं कर पाता था, तो फिर सभी को देश में रहने का अधिकार था।

प्रस्तावना

चुनाव हो और मतदान या वोटिंग का जिक्र न हो, ऐसा तो हो ही नहीं साकता। वोटिंग को आज जिस रूप में विभिन्न देशों ने अपनाई है, इसकी शुरूआत उस रूप में नहीं हुई थी। वोटिंग ईसा के जन्म से भी काफी पहले से प्रचलित है, लेकिन तब प्रत्याशी ''हमें वोट दो'' नहीं कहते थे। तब वे यही दुआ करते थे कि उन्हें ज्यादा वोट न मिलें।

मतदान वोटिंग की शुरूआत यूनान में हुई ऐसा माना जाता है। यहीं पर 508 ई0पू0 में क्लीसथेनिस ने लोकतंत्र का पौधा रोपा था। वहाँ मतदान करने का उद्देश्य किसी राजनीतिक को चुनना नहीं बल्कि उसे दस साल के लिए निर्वासित करना था। तब ''औस्ट्राका'' पर वोट लिखे जाते थे और जिस व्यक्ति को 06 हजार से अधिक वोट मिल जाते थे उसे 10 साल के लिए निर्वासन भोगना पड़ना था। अगर कोई भी व्यक्ति 06 हजार से अधिक मत हासिल नहीं कर पाता था, तो फिर सभी को देश में रहने का अधिकार था।[1]

मतदान प्रणाली की शुरूआत 13वीं शताब्दी में वेनेशियन राज्य के गठन के साथ हुई थी। यहाँ करीब 40 सदस्यों की महापरिषद् का गठन किया गया था। बाद में इसके लिए 20

अन्य सदस्य भी चुने गए थे। इसके लिए पहली बार कई तरह की चुनावी प्रणालियाँ अपनाई गयी थी। इसी समय ''अप्रूवल वोटिंग'' भी शुरू हुई थी। इसमें हर मतदाता को उन सभी व्यक्तियों को एक मत देने का अधिकार था, जिसे वे पसंद करते थे। वही जो प्रत्याशी पसंद उन्हें नहीं थे, उन्हें मतदाता मत नहीं देते थे। इस प्रणाली में वह व्यक्ति विजयी होता था, जो अधिकतम लोगों को स्वीकार्य होता था।

सही वह चुनाव प्रणाली मानी जाती है, जो इन तीन आधारों पर खरी उतरती है–

1. सभी मतदाता समान हों।
2. सभी प्रत्याशियों को बराबरी का दर्जा मिला हो, जिसे भी अधिक संख्या में मत मिलें, वह ही विजयी माना जाये।

इस मतदान प्रणाली में सभी मतदाताओं को सिर्फ एक ही मत देने का अधिकार होता है और इसके लिए ही वे अपनी पंसद का प्रत्याशी चुनते हैं।

मतदान करने की नई प्रणाली है मतपत्र प्रणाली। इस प्रणाली में सभी प्रत्याशियों के नाम एक समान आकार के मतपत्र पर लिखे जाते हैं और मतदाता को गुप्त रूप से अपना मत देने का अधिकार दिया जाता है। मतदाता अपनी पंसद के प्रत्याशी के नाम के आगे मोहर लगाकर वोट देता है। इस प्रणाली की शुरूआत ऑस्ट्रेलिया के विक्टोरिया प्रान्त में 1856 में हुई थी। अमेरिका में यह प्रणाली 1889 में पहुंची थी।

इस प्रणाली में कई लीवर लगे होते है, और प्रत्येक लीवर पर प्रत्याशी का नाम लिखा होता है। मतदाता जिस व्यक्ति को चुनना चाहता है, उसके नाम का लीवर दबा देता है।

पंचकार्ड प्रणाली में एक कार्ड होता है, और क्लिपबोर्ड के आकार का एक छोटा–सा उपकरण होता है, जो मत रिकार्ड करता है।

लोकतांत्रिक व्यवस्था और चुनाव

पुराने समय में दुनिया भर में राजशाही, तानाशाही और लोकतांत्रिक शासन पद्धतियाँ रहीं है। आज के अत्याधुनिक युग में भी कहीं–कहीं राजशाही और तानाशाही के अवशेष देखे जा सकते हैं। समय के साथ–साथ यह बात बार–बार साबित हो चुकी है, कि लोकतांत्रिक शासन पद्धति ही सर्वोच्च है, सर्वश्रेष्ठ है, और अधिसंख्य लोगों द्वारा स्वीकार्य है।

भारत में लोकतांत्रिक व्यवस्था है, और हम दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र के रूप में जाने जाते और पहचाने जाते हैं। निसंदेह भारत में लोकतंत्र की जड़ें बहुत गहराई तक फैली हुई हैं। लेकिन जैसा कि अक्सर होता है, हमारे लोकतंत्र में भी कुछ खामियां आ गयी है। क्षरण, प्रकृति का नियम है, इसलिये हमारे लोकतंत्र में भी समय के साथ–साथ कुछ ऐसी चीजें आ गयी है जिनके कारण लोकतंत्र से हमारा भरोसा कभी–कभी उठने लगता है। ऐसा तब होता है जब लोकतंत्र हमारी अपेक्षाओं पर खरा नहीं उतर पाता। दरअसल यह कमी लोकतंत्र की नहीं बल्कि व्यवस्था की है, व्यवस्था से जुडे लोगों की है।

चुनाव या निर्वाचन को लोकतंत्र का आधार कहा जाता है जिसके द्वारा जनता अपने प्रतिनिधि चुनती है और उन्हें सत्ता सौंप देती है। ये चुनावों का महत्व ही है कि लोकतंत्र में चुनावों

को 'महोत्सव' की संज्ञा दी जाती है। दुर्भाग्य से आज हमारी चुनाव प्रक्रिया में कुछ खामियां आ गयी जिसके कारण लोकतंत्र का अस्तित्व ही कभी–कभी खतरे में लगने लगा है। वस्तुतः चुनाव प्रक्रिया में सुधार किये बगैर लोकतंत्र की रक्षा करना सम्भव नहीं है। क्योंकि निष्पक्ष व स्वच्छ चुनावों के बिना न तो लोकतंत्र का कोई अर्थ है, और न ही इसकी कोई उपयोगिता।[3]

लोकतंत्र अंग्रेजी शब्द 'डेमोक्रेसी' का हिन्दी पर्याय है। डेमोक्रेसी शब्द मूल यूनानी भाषा से लिया गया है (डेमोस– जनता, क्रेशिया–शासन) जिसका शाब्दिक अर्थ है– ''जनता का शासन''। अमरीकी राष्ट्रपति अब्राहिम लिंकन ने तो लोकतंत्र को परिभाषित करते हुए कहा भी है कि– ''जनता की, जनता द्वारा, जनता के लिए सरकार''। शुरू–शुरू में लोकतंत्र शब्द का उपयोग प्राचीन यूनान में 'अनेक लोगों के शासन' के रूप में किया गया था, न कि आज जैसे सकारात्मक रूप में। इस प्रकार तब सत्ता की शक्ति किसी एक व्यक्ति के हाथों में न रहकर, कई व्यक्तियों में समाहित होती थी। अरस्तू ने 06 प्रकार की शासन पद्धतियों का वर्णन किया था– राजतंत्र, निरंकुशतंत्र, कुलीनतंत्र, वर्गतंत्र, लोकतंत्र और भीड़तंत्र, यहाँ जान लेना जरूरी है कि 'डेमोक्रेसी' शब्द का प्रयोग अरस्तू ने भीड़तंत्र के लिये किया था न कि लोकतंत्र के लिये जबकि आजकल डेमोक्रेसी को लोकतंत्र का पयार्य माना जाता है।

शुरू–शुरू में डेमोक्रेसी (भीड़तंत्र) को न तो आदर्श शासन पद्धति माना जाता था और न ही इसे सकारात्मक रूप में लिया जाता था लेकिन सत्रहवीं शताब्दी के लेवलर्स आन्दोलन (इंग्लैण्ड) के बाद लोकतंत्र का अर्थ, वांछित और सकरात्मक रूप में लिया जाने लगा। वैसे तो लोकतंत्र भी अन्य शासन पद्धतियों की तरह एक शासन पद्धति ही है लेकिन आज के युग में इस शासन पद्धति से कुछ अधिक माना जाता है। वास्तव में आज यह एक जीवन पद्धति, एक सामाजिक व्यवस्था, एक सांस्कृतिक प्रतिमान राजनीतिक व्यवस्था का एक स्वरूप और राज्य का एक प्रकार है। दुर्भाग्य से लोकतंत्र का यह बहुआयामी आदर्श रूप, व्यवहार में कहीं भी दिखाई नहीं देता है, इसमें बहुत–सी कमियाँ है।

लोकतांत्रिक व्यवस्था में कमियाँ कई स्तरों पर हैं लेकिन सबसे बड़ी और महत्वपूर्ण खामी है निर्वाचन प्रणाली में, अर्थात चुनाव होने के तरीके में। चूंकि चुनाव की बुनियाद पर ही लोकतंत्र की इमारत खड़ी होती है इसलिये चुनाव प्रक्रिया में सुधार आज वक्त की जरूरत है। चुनाव का सीधा–सा अर्थ है, अपने मताधिकार का उपयोग करके अपने प्रतिनिधि चुनना और उन्हें सत्ता सौंपना। आज की सभी लोकतांत्रिक सरकारें, जनता द्वारा, चुनाव द्वारा चुनी जाती है। मत देने और जनता को अपन लिए कानून बनाने वाले प्रतिनिधियों को चुनने का अधिकार ही मताधिकार कहलाता है और यह मताधिकार चुनावों द्वारा ही प्राप्त होता है। इस प्रकार मताधिाकार लोकतांत्रिक व्यवस्था का मूल आधार है।

मताधिकार, उस लोकतांत्रिक सिद्धान्त की अभिव्यक्ति और क्रियान्वयन का व्यावहारिक स्वरूप है जिसे लोकप्रिय संप्रभुता कहा जाता है जो सबको प्रभावित करता है। उसका निर्णय सबके द्वारा ही किया जाना चाहिए और मताधिकार इसी उद्देश्य की पूर्ति करता है। लोकतंत्र की प्रतिनिधि मूलक संस्थाओं, जैसे संसद, राज्य विधान मंडलों, नगर पालिकाओं और ग्राम पंचायतों

आदि के गठन में जाति, धर्म, लिंग, निवास, शैक्षिक–स्तर और आर्थिक हैसियत के आधार पर भेदभाव किये बगैर जनता का प्रतिनिधितव चुनाव तथा मताधिकार के द्वारा ही सम्भव होता है। राजनैतिक निर्णय लेने और लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था स्थापित करने में जनता की भागीदारी सुनिश्चित करने में भी चुनाव महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है। विभिन्न सामाजिक मुद्दों, जनसमस्याओं मांगों और हितों के प्रति जनता में जागरूकता पैदा करने का काम भी परोक्ष रूप से चुनाव ही करते है। इसके अलावा सुधार और परिवर्तन के लिए जनता की इच्छा और आकांक्षा की अभिव्यक्ति को भी दिशा, चुनाव ही देते हैं।[4]

वैसे तो लोकतंत्र की सफलता के लिए कई तत्व जिम्मेदार होते है, और किसी एक कारक को ही लोकतंत्र की सफलता का आधार नहीं माना जा सकता है, लेकिन लोकतांत्रिक व्यवस्था में चुनावों का महत्व किसी से छिपा नहीं है। किसी भी लोकतांत्रिक व्यवस्था की सफलता के लिए आवश्यक है कि समाज का चरित्र ऊँचा हो। यदि राष्ट्रीय चरित्र नैतिक है, कर्तव्य परायण और ईमानदार है तो निश्चित रूप से देश में एक ऐसा वातावरण बन जायेगा। जिसमें लोकतंत्र फलता–फूलता नज़र आयेगा।

लोकतंत्र की सफलता के लिए जरूरी है कि जनता में लोकतांत्रिक सिद्धान्तों व मूल्यों के प्रति विश्वास पैदा हो। इसके अलावा जनता बौद्धिक रूप से जागरूक भी होनी चाहिए। जनता इतनी समझदार और शिक्षित होनी चाहिए कि वह सार्वजनिक समस्याओं पर खुलकर अपने विचारों को प्रकट कर सके आर वक्त आने पर इन समस्याओं का समाधान भी तलाश सके। मत देने वाले लोगों अर्थात् अपने जनप्रतिनिधि चुनने वालों में इतनी योग्यता जरूर होनी चाहिए कि वह देश के लाकतंत्र की आवश्यकताओं को समझ कर उसके अनुरूप प्रतिनिधि शासन की स्थापना कर सके।

लोकतंत्र तभी फल–फूल सकता है, जब वैधानिक परम्पराओं के प्रतिनिष्ठा रखी जाए। एक सफल लोकतंत्र वहीं पाया जाता है जहाँ जनसाधारण में राजनैतिक जागरूकता होती है। सार्वजनिक प्रश्नों के प्रतिअभिरूचि होती है, और सच्चाई के साथ अपने राष्ट्र के प्रति कुछ कर गुजरने की तमन्ना होती है। यदि ऐसे जागरूक और सच्चे लोग चुनावों में अपने मताधिकार का उपयोग करें तो कोई कारण नहीं कि लोकतंत्र सफल न हो सके।[5]

सामाजिक न्याय भी लोकतंत्र की सफलता के लिए आवश्यक है। सामाजिक न्याय का आशय है व्यक्तित्व के विकास के लिए प्रत्येक को समान अवसर मिलना। न्याय और कानून की दृष्टि में भी सभी को समान रूप से देखा जाना चाहिए। आर्थिक असमानताओं के होते हुए सामाजिक न्याय नहीं होता तो लोकतंत्र की बात ही सोचना व्यर्थ है। लोकतांत्रिक व्यवस्था का तरकाज है कि जनता को व्यक्तिगत स्वतंत्रता हासिल हो और वह खुलकर अपने विचार प्रकट कर सके।

लोकतंत्र की मजबूती के लिये जरूरी है, कि देश में शांति का वातावरण हो, सुरक्षा का माहौल हो ताकि जनता स्वछंदतापूर्वक अपने कर्तव्यों का पालन कर सके। स्वशासन प्रणाली को भी लोकतंत्र के लिए जरूरी माना जाता है। शक्ति का केन्द्रीकरण तो निरंकुशता और अधिनायक

तंत्र का प्रतीक है। लोकतंत्र की मांग है कि शक्ति और सत्ता का विकेन्द्रीकरण हो, सत्ता एक हाथ से निकल कर कई हाथों में बटें। इसलिए स्वायत्तशासी संस्थाओं व स्थानीय निकायों के विकास को लोकतंत्र में अधिक से अधिक अवसर देने की कोशिश की जाती है। किसी प्रकार की शासन व्यवस्था का जीवन और उसकी सफलता इस बात पर निर्भर करती है, कि वह किस प्रकार के व्यक्तियों का निर्माण कर पाती है, जो आगे चलकर उसे चला सके। शासन–व्यवस्था जैसे लोगों का विकास करेगी, वैसे लाग ही समाज और राजनीति को नेतृत्व प्रदान करेंगे और नेतृत्व से ही लोकतंत्र का भविष्य तय होगा। इस प्रकार स्पष्ट है, कि चुनावों का लोकतंत्र में अत्याधिक महत्व है। चुनावों के द्वारा हम जैसे प्रतिनिधि चुनेंगें, वैसा ही शासन हमें मिलेगा, और हमारा लोकतंत्र भी वैसा ही स्वरूप ग्रहण करेगा।

आज हमारे आस–पास का राजनैतिक माहौल बहुत अच्छा नहीं है। लोगों का लोकतंत्र से विश्वास उठता जा रहा है, उनके भरोसे का लगातार क्षरण हो रहा है। इसका प्रमुख कारण है हमारी चुनाव प्रणाली में आ गयी कुछ कमियां, कुछ दोष। कभी राजनीति, समाज सेवा का एक जरिया मानी जाती थी। लेकिन आज राजनीति ने एक घटिया पेशे का रूप धारण कर लिया है। आज राजनीति स्वयं–सेवा का साधन बन गयी है। अब राजनीति अपने काले कारनामों को छिपाने का एक जरिया बन गयी है। ऐसे एक नहीं कई उदाहरण हैं कि जब अपराध की दुनिया में अपने झण्डे गाड़ने वाले अपराधियों पर पुलिस का दबाब बढ़ा, न्यायतंत्र का शिकंजा कसा तो वे राजनीति के क्षेत्र में घुस गये। इसलिये तो आज हमारी संसद और विधान सभाओं में हिस्ट्रीशीटर बदमाशों की संख्या काफी अधिक हो गयी है। कई–कई आपराधिक मुकद्मों का सामना करने वाले लोग राज्यों में मुख्यमंत्री पद की शोभा बढ़ा चुके हैं तो कुछ केन्द्रीय मंत्री परिषद तक में जगह पा गये थे।

इस प्रकार के अपराधिक इतिहास वाले लोग चुनावों का सामना करके ही विधायिका में पहुंचे है, इसलिए आज हम जब राजनीति के अपराधीकरण और सत्ता में फैले भ्रष्टाचार से दुःखी है, तो हमें इसका कारण अपनी चुनाव प्रणाली में ही ढूंढना चाहिए। निःसंदेह हमारी चुनाव प्रणाली में कुछ ऐसे छेद हैं जिनका लाभ उठाकर गलत आदमी सत्ता के गलियारों में पहुंच जाते है और हम पर शासन करते है। अपनी चुनाव प्रणाली की कमियों को ढूंढना और उनको दूर करना आज वक्त की जरूरत है, समय की मांग है। चुनाव प्रणाली को सुधार कर ही हम लोकतंत्र की बुनियाद को मजबूत कर सकते है।

मानव सभ्यता के विकास के समय से ही कोई न कोई शासन प्रणाली हमेशा अस्तित्व में रही है, लेकिन आज तक किसी आदर्श शासन प्रणाली का कोई सर्वमान्य व्यवहारिक स्वरूप न तो आकार ग्रहण कर सका है, और नही इस आदर्श स्वरूप को परिभाषित किया जा सका है। मोटे तौर पर शासन व्यवस्था के स्वरूप को दो भागों में बांटा जा सकता है। पहली, वह शासन व्यवस्था है जिसमें सत्ता, संवैधानिक तौर पर जनसाधारण में निहित होती है न कि किसी समूह या व्यक्ति विशेष के हाथों में। इसे लोकतांत्रिक शासन प्रणाली कहा जाता है। इसके विपरीत, दूसरे प्रकार की शासन प्रणाली में सत्ता तथा शक्ति किसी व्यक्ति विशेष या किसी वर्ग समूह

में निहित होती है। इसे सर्वाधिकारवादी शासन व्यवस्था कहा जाता है।

आज समूची दुनियां में लोकतांत्रिक शासन प्रणाली को ही सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। लोकतंत्र की मजबूती ही किसी देश की प्रगति का पैमाना होती है। लोकतंत्र को यह गौरव मिलता है उसकी विशिष्ट निर्वाचन पद्धति के कारण, चुनावों के कारण ही लोकतंत्र को आज सर्वाधिक लोकप्रिय और लगभग आदर्शन शासन प्रणाली माना जाता है। शासन और सत्ता में जनता की भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए चुनाव ही एक मात्र रास्ता होता है। लोकतांत्रिक की स्थिरता इस बात पर निर्भर करती है, कि उस व्यवस्था में चुनाव जनता की सरकार के उपकरण है या नहीं। यदि पूरी निष्पक्षता से चुनाव हों और मतदान निर्भयता के साथ योग्य उम्मीदवारों को चुनें तो लोकतंत्र की जड़े काफी गहरी हो जाती है।[6]

दूसरे प्रकार की सर्वाधिकारवादी शासन प्रणाली में जनता की इच्छा या सत्ता में उसकी भागीदारी कोई मायने नहीं रखती है। यहाँ शासन व्यवस्था, आधारभूत रूप में शक्ति के प्रयोग पर आधारित होती है। अपनी सत्ता को बनाए रखने के लिए शक्ति का यह उपयोग या तो शासक स्वयं करता है, या फिर उसके द्वारा मनोनीति सलाहकार परिषद् के सदस्य। हालांकि इस प्रकार की शासन व्यवस्था में जनता की इच्छा या सत्ता में उसकी भागीदारी का कोई सवाल नहीं उठता है, लेकिन फिर भी शासन जनभावनाओं की उपेक्षा नहीं कर पता है और उसकी कोशिश जनता को यह विश्वास दिलाने की रहती है कि शासन उनके हित में काम कर रहा है।

आज के आधुनिक युग में कोई तानाशाह शासक भी जनता को भेड़–बकरियों की तरह नहीं हांक सकता चाहे दिखावे के तौर पर ही सही उसे जनता का विश्वास प्राप्त करना पड़ता है इसलिये जनभावना और जनप्रतिक्रिया को जानने के लिए तानाशाही शासन व्यवस्था को भी चुनावों का सहारा लेना पड़ता है। अभी इसी तरह का बकाया हमारे पड़ोसी देश पाकिस्तान में देखने को मिला था। जनरल परवेज मुर्शरफ ने ताकत के जोर पर चुनी हुई सरकार को हटाकर पाकिस्तान की सत्ता तो हथिया ली लेकिन अन्तर्राष्ट्रीय बिरादरी ने उन्हें मान्यता नहीं दी थी। पाकिस्तानी जनता का समर्थन दिखाने और संग्रह कराया और लगभग शत–प्रतिशत 'जनसमर्थन' अपनी सरकार को दिलवा दिया। इस प्रकार स्पष्ट है, कि तानाशाही व्यवस्था में भी चुनावों के महत्व को समझा जाता है।

लोकतांत्रिक व्यवस्था भी कई प्रकार की शासन प्रणालियों पर चलती हैं। लोकतंत्र की सर्वश्रेष्ठ शासन प्रणाली विकसित करने के लिए इंग्लैण्ड में काफी शोध–अनुसंधान हुये हैं, और निर्वाचन प्रक्रिया के कई सैद्धान्तिक मॉडल तराशे गये है। जॉन स्टूअर्ट मिल नामक प्रख्यात राजनीतिक विचारक लोकतंत्र के तो भारी समर्थक थे, लेकिन गुप्त मतदान को वे कायरता का प्रतीक मानते थे। बाद में मिल तथा उनके साथियों ने अनुपातिक निर्वाचन के सिद्धान्त को विकसित किया। यह सिद्धान्त बहुमत पर आधारित चुनाव प्रणाली की तुलना में कहीं अधिक अच्छा माना जाता है। इसी प्रकार अमेरिका में सीमित मताधिकार को वयस्क मताधिकार से अधिक उपयोगी और अच्छा माना जाता है।

लोकतंत्र की मजबूती और सफलता के लिए आवश्यक है कि चुनाव प्रक्रिया सरल हो

ताकि अधिक से अधिक जनता उसमें भाग ले सके। जर्मनी में लोकतंत्र हमेशा से काफी कमजोर रहा है, तो इसका कारण यही है– कि वहां की चुनाव प्रक्रिया बेहद जटिल है। इसी प्रकार स्केन्डिनेवियन देशों में चुनाव प्रक्रिया ने एक नया ही रूप धर लिया है, क्योंकि इन देशों में दलीय व्यवस्था काफी कमजारे हो गयी थी, जिसमें आम लोगों की राजनीति में गयी, काफी कम हो गयी। इन देशों में चुनाव एक सामान्य सी घटना बनकर रह गये है और लोगों को ध्यान ही नहीं रहता कि कहाँ, कौन से चुनाव हो रहे हैं।

प्रत्येक देश की चुनाव प्रक्रिया में कुछ न कुछ अंतर अवश्य होता है। हालांकि सभी जगह चुनाव प्रक्रिया का मूल सिद्धान्त एक ही है, लेकिन हर देश की चुनाव प्रक्रिया उस देश विशेष में प्रचलित सामाजिक मान्यताओं और सामाजिक दबावों से प्रभावित हुए बगैर नहीं रहती है। जैसाकि हमारे यहाँ भारत में होता है, पश्चिम देशों में भी चुनाव प्रक्रिया काफी खर्चीली है, और वहाँ भी चुनाव को प्रभावित करने के लिए गलत तरीके अपनाए जाते है। लेकिन एक मामले में पश्चिमी देश बिल्कुल अलग है। भारत की तरह वहां के लोग चुनावी भ्रष्टाचार को बहस का मुद्दा नहीं बनाते और न ही वहां कानून बनाकर सरकारी तंत्र, चुनावी भ्रष्टाचार रोकने की कोशिश करता है। वास्तव में वहां स्वयं समाज ही ऐसे लोगों को किनारा करता जाता है, और चुनावों में अनैतिक तरीके इस्तेमाल करने वालों की वहां ऐसी दुर्गति होती है, कि ऐसे लोग राजनीति से ही मजबूरन सन्यास ले लेते है।

लगभग सभी देशों में चुनाव प्रणाली को वहां की जनता ने अपनी परिस्थितियों के अनुरूप ढाल लिया है। इस संदर्भ में सभी यूरोपियन देश, स्विटजरलैण्ड की चुनाव प्रणाली को सर्वोत्तम मानते है। वहां जन–प्रतिनिधि को कर्तव्य ठीक प्रकार से न निभा पाने की स्थिति में वापस बुला लेने का प्रावधान है। वहां की चुनाव प्रक्रिया मात्र जनप्रतिनिधि चुनने तक ही सीमित नहीं है, अपितु वहां छोटे–छोटे मसलों पर भी 'जनमत संग्रह' करवाने की व्यवस्था है, ताकि सत्ता के सभी निर्णयों में जनता की भागेदारी सुनिश्चित की जा सके।

चुनाव प्रक्रिया में टिकिटों का बंटवारा भी एक अहम् पायदान होता है, क्योंकि इसी से तय होता है, कि किस प्रकार के लोग चुनकर आयेंगे और कैसे लोग सत्ता में भागीदारी करेंगे। अधिकतर यूरोपियन देशों में टिकिटों का बंटवारा स्वयं राजनीतिक दल ही अपने स्तर पर निपटा लेते है, लबकि अमेरिका में 'प्राइमरीज' की व्यवस्था प्रचलित है जिसके अन्तर्गत दल विशेष से सम्बन्धित सदस्यों को बिना अपने हाईकमान को बताए पसंदीदा प्रतिनिधि का नाम अनुमोदित/प्रस्तावित करने का अधिकार है। इन प्रस्तावित प्रतिनिधियों में से एक व्यक्ति का चयन 'एलीमिनेशन' प्रणाली के आधार पर किया जाता है। उम्मीदवारों का यह चयन प्रणाली दल के भीतर अपने आप में विशिष्ट लोकतांत्रिक प्रणाली है। इस प्रणाली में उम्मीदवार की योग्यता से अधिक उसकी 'लोकप्रियता' को महत्व दिया जाता है। स्केन्डिवेनियन देशों में चुनाव प्रक्रिया इतनी शान्त और सामान्य हो चुकी है कि वहां कई बार तो विभिन्न दलों को चुनाव लड़ने के लिए प्रत्याशी तक नहीं मिल पाते है। इन देशों में एक उल्लेखनीय बात यह है, कि वहां चुनावों में मीडिया का जितना अधिक उपयोग करता है उसके चुनाव हारने की आशंका उतनी ही अधिक

बढ़ जाती है।

मोटे तौर पर यदि देखा जाये तो लोकतांत्रिक पद्धति के अन्तर्गत आजकल समूची दुनिया में दो प्रकार की शासन–प्रणालियां ही प्रचलन में हैं– संसदीय शासन प्रणाली और राष्ट्रपति शासन प्रणाली। इन दोनों प्रणालियों में मुख्य अंतर यही है, कि जहां पहली प्रणाली में शासन की सर्वोच्चता सत्ता संसद के जरिए जनता में निहित होती है, जबकि दूसरी प्रकार की प्रणाली में यह सत्ता राष्ट्रपति में निहित रहती है। यहां कुछ प्रमुख देशों की चुनाव प्रणालियों का तुलनात्मक अध्ययन करना उचित रहेगा–

ब्रिटेन

ब्रिटेन के चुनावों में जीते उम्मीदवार का फैसला, अधिकतम मतों की प्राप्ति के आधार पर किया जाता है, चाहे उसे उम्मीदवार को कुल मिलाकर अल्पमत के ही वोट क्यों न मिले हो। इस प्रकार ब्रिटेन के 'हाउस ऑफ कॉमन्स' के चुनाव ठीक वैसे ही है जैसे भारत में होते हैं, लेकिन इनमें मुख्य अंतर यह है कि ब्रिटेन में कुल मिलाकर दो–तीन दल ही हैं जो चुनावों में भाग लेते हैं। इसलिये वहां विजेता उम्मीदवार को अधिकतम 50 प्रतिशत से अधिक वोट मिल ही जाते है जबकि भारत में स्थिति बिल्कुल उलट है। हमारे यहां राजनीतिक दलों की संख्या काफी अधिक है और फिर भारी संख्या में निर्दलीय उम्मीदवार भी मैदान में उतरते है। इस कारण हमारे यहां कभी–कभी तो उम्मीदवार मात्र 7–8 प्रतिशत वोट पाकर भी जीत जाता है।[7]

अमेरिका

अमेरिका के लोकतांत्रिक पद्धति के अन्तर्गत राष्ट्रपति प्रणाली अस्तित्व में है। यहां राष्ट्रपति का चुनाव सीधे जनता द्वारा 04 वर्षों के लिये किया जाता है। अमेरिका में संसद के दो सदन होते हैं, लेकिन राष्ट्रपति किसी भी सदन के प्रति उत्तरदायी नहीं होता है अमेरिकी राष्ट्रपति पर संसद की राय बाध्यकारी न होकर केवल अनुशंसात्मक होती है। राष्ट्रपति संसद द्वारा पारित किसी भी प्रस्ताव को स्वीकार करने, अस्वीकार करने या उसे संशाधित रूप में स्वीकार करने को स्वतंत्र होता है। इस प्रकार अमेरिका में लोकतांत्रिक पद्धति होते हुए भी सारी शक्तियां राष्ट्रपति में निहित होती है।

राष्ट्रपति के चुनाव के समय अमेरिका के प्रत्येक राज्य में जनसंख्या घनत्व के आधार पर चुनाव जिलों (प्रेसिंक्ट्स) का गठन किया जाता है। वहां भी चुनाव गुप्त मतदान प्रणली द्वारा होता है, और मतदाता अपनी वरीयता के अनुसार एकाधिक उम्मीदवार को वोट दे सकता है।

रूस

हालांकि रूस के गणतंत्र को पूर्णतया लोकतांत्रिक नहीं कहा जासकता लेकिन फिर भी उसे लोकतांत्रिक देशों की सूची में सम्मिलित किया जाता है, क्योंकि वहां की संसद का गठन भी चुनावों द्वारा ही होता है। वैसे रूस की संसद के चुनाव मात्र एक औपचारिकता ही होते हैं, क्योंकि वहां ये चुनाव सत्ताधारी कम्यूनिस्ट पार्टी द्वारा करवाये जाते है और उसके अलावा चुनावी मैदान में और कोई दल होता भी नहीं है।

रूस में भी गुप्त मतदान को ही वरीयता दी गयी है, और वहां 18 वर्ष से ऊपर का प्रत्येक

नागरिक मताधिकार रखता है। रूस में उम्मीदवारों की चयन प्रक्रिया भी कुछ अलग प्रकार की है। सबसे पहले कुछ सार्वजनिक संगठनों, युवों मोर्चों और सांस्कषतिक संस्थाओं में किसी उम्मीदवार के नाम का प्रस्ताव किया जाता है और फिर प्रस्तावित उम्मीदवारों की योग्यता की जांच की जाती है। इसके बाद उम्मीदवारों का प्रस्ताव रखने वाले संगठनों की सामूहिक बैठक होती है जिसमें सर्वसम्मति से किसी एक स्थानीय उम्मीदवार को चुनाव के लिये मनोनीत कर दिया जाता है। इस प्रकार रूसी लोकतंत्र की बिडम्बना यह है कि वहां प्रत्येक चुनाव क्षेत्र में सिर्फ एक ही उम्मीदवार खड़ा हो सकता है, जिसकी जीत निश्चित होती है। वहां इसे 'अनावश्यक संघर्ष को टालने' की युक्ति बताया जाता है। चुनाव के द्वारा जिस मनोनीत उम्मीदवार को कुल पड़े वैद्य मतों में से आधे से अधिक वोट मिल जाते है, तो उसे विजयी घोषित कर दिया जाता है, अन्यथा पूरा चुनाव दोबार होता है।

रूस के चुनावों की खासियत यह है, कि वहां मतदान का प्रतिशत सामान्य से बहुत अधिक लगभग 95–98 प्रतिशत तक है, और समस्त चुनाव का खर्च सरकार द्वारा ही वहन किया जाता है। इन चुनावों की दूसरी विशेषता यह है कि अगर जनता का बहुमत चाहे तो, जीते हुए प्रत्याशी को वापस बुला सकता है और चुनाव दोबारा करवाए जा सकते हैं।

जर्मनी

जर्मनी के चुनावों में तीन प्रकार के उम्मीदवार होते है– स्थापित दलों के उम्मीदवार, अन्य दलों के उम्मीदवार और निर्दलीय उम्मीदवार। स्थापित दल केवल पार्टी के लैण्ड एक्जीक्यूटिव के हस्ताक्षर के आधार पर ही किसी चुनाव क्षेत्र से उम्मीदवार खड़े कर सकते हैं जबकि अन्य दलों को यह भी प्रमाणित करना पड़ता है, कि उनका एक लिखित संविधान व लिखित कार्यक्रम है, और उनकी कार्यकारिणी का चुनाव लोकतांत्रिक पद्धति से होता है। ऐसे दलों के उम्मीदवारों को अपने नामांकन पत्र को कम से कम 200 मतदाताओं से हस्ताक्षरित भी करवाना पड़ता है। जर्मनी में निर्दलीय उम्मीदवारों को भी अपने नामांकन पत्र पर कम से कम 200 मतदाताओं के हस्ताक्षर करवाने पड़ते हैं।

लगभग अधिकतर देशों में चुनाव की प्रक्रिया एक ही चरण में पूरी हो जाती है। इन देशों में चुनाव अधिकतम वोटों की प्राप्ति के आधार पर हाता है, अर्थात् प्रत्येक चुनाव क्षेत्र से एक ही उम्मीदवार विजयी होती है। और अधिकतम उम्मीदवारों की कोई संख्या निर्धारित नहीं होती है। जिस उम्मीदवार को औरों से अधिक वोट मिलते है, उसे विजयी घोषित कर दिया जाता है। लेकिन कुछ देशों में दोहरे मतदान की प्रणाली उपयोग में लायी जाती है। इस प्रणाली के अन्तर्गत पहला मतदान, सामान्य प्रणाली के जरिए होता है, और फिर दूसरे चरण में अधिकतम वोट प्राप्त करने वाले उम्मीदवार या सभी उम्मीदवारों को पुनः खड़ा होने का मौका मिलता है, और 50 प्रतिशत से अधिक वोट प्राप्त करने वाले उम्मीदवार को विजयी मान लिया जाता है। इस प्रणाली में आमतौर पर कम वोट प्राप्त करने वाले उम्मीदवार मैदान से हट जाते है, और मुकाबला दो–तीन उम्मीदवारों के बीच ही होता है। किसी देश में वरीयता प्रणाली का प्रयोग किया जाता है तो कहीं अधिकतम वोट वाली प्रणाली अस्तित्व में है। कई देशों में आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली लागू

है तो कहीं सूची प्रणाली का प्रयोग किया गया।

जर्मनी और इटली जैसे देशों आनुपतिक प्रतिनिधित्व सिद्धान्त पर आधारित सूची प्रणाली लागू है। इस प्रणाली के अन्तर्गत चुनाव में भाग लेने वाली सभी राजनैतिक दलों को अपने–अपने दलों की शक्ति के अनुसार विधान मंडल (संसद) में आनुपातिक रूप से समान प्रतिनिधित्व मिलता है। इसके विपरीत इंग्लैण्ड, अमेरिका, कनाडा, भारत, दक्षिण अफ्रीका और न्यूजीलैण्ड जैसे देशों में प्रत्येक चुनाव क्षेत्र से एक उम्मीदवार का चयन होता है, और चयन के आधार अधिकतम मत–प्राप्ति होता है, न कि 50 प्रतिशत से अधिक वोट पाने का प्रतिबंध। इसे 'फर्स्ट–पास्ट–द–पोस्ट सिस्टम' कहा जाता है। अर्थात् घुडदौड़ के दौरान जो घोड़ा जीत वाले खम्भे को सबसे पहले पार कर जाए वहीं विजेता कहलाता है, चाहे वह पीछे वाले घोड़े से मात्र कुछ ही इंच आगे क्यों न हो। इसे प्रत्यक्ष–मतदान प्रणाली भी कहा जाता है, और इसके अन्तर्गत जीतने के लिए उम्मीदवार को न्यूनतम साधारण बहुमत प्राप्त करना आवश्यक नहीं है।

कुछ देशों में सूची प्रणाली के साथ–साथ प्रत्यक्ष मतदान प्रणाली का प्रयोग भी किया जाता है। जर्मनी में इन दिनों प्रणालियों का एक साथ प्रयोग किया जाता है। जर्मनी में आधी सीटें सूची प्रणाली से और बाकी आधी सीटें दुनिया के जिन देशों में लोकतांत्रिक व्यवस्था लागू है, उनमें से तीन–चौथाई देशों अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के भी अलग–अलग देशों में कई स्वरूप में कई स्वरूप है जैसे– एकल संक्रमणीय मत द्वारा आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली, सेटे लीग, ड्रप कोटा, इम्पीरियल कोटा, हारे और द हण्ट फार्मूला।[8]

इन प्रणालियों के अलावा कुछ देशों में अर्द्ध–आनुपातिक प्रणाली भी अस्तित्व में हैं, जिनके तीन विकल्प (स्वरूप) हैं– एकल संक्रमणीय मत प्रणाली, सीमित मत प्रणाली और अधिकतम मत प्रणाली, अधिकतम मत प्रणाली का उपयोग तो भारत में भारत आजादी से पूर्व किया जाता रहा है। सीमित मत प्रणाली में मतदाता के पास वोट तो एकाधिक होते है, लेकिन वह एक ही उम्मीदवार को वोट दे सकता है। जापान में यही सीमित मत प्रणाली लागू है। इसी प्रकार स्वीडन, डेनमार्क, नीदरलैण्ड, स्विटजरलैण्ड, इटली, बेल्जियम और नार्वे जैसे देशों में सूची प्रणाली लागू है। जर्मनी और रूस में सूची व बहुमत प्रणाली का मिला–जुला रूप प्रयोग में लाया जा रहा है।[9]

इस प्रकार प्रत्यक्ष मतदान प्रणाली और सूची प्रणाली यही दो प्रणालियां सभी देशों में प्रयोग में लायी जा रही है। वास्तव में प्रत्यक्ष मतदान प्रणाली में कई कमियां है, जैसे– कुछ राजनैतिक दल विधान मंडल में बिना प्रतिनिधित्व के भी रह जाते हैं तो कई बार अल्पमत में आने वाला दल भी सत्ता प्राप्त कर सकता है। प्रत्यक्ष मतदान प्रणाली में यह भी संभव है, कि किसी मतदाता का वोट व्यर्थ चला जाये अर्थात् उसने जिसे वोट दिया हो वह उम्मीदवार जीत भी न पाए। प्रत्यक्ष मतदान प्रणाली (बहुमत) की कमियों को सुधार कर ही सूची प्रणाली अस्तित्व में आयी थी।[10]

स्पष्ट है कि सूची प्रणाली में न्यूनतम कमियां है। सूची प्रणाली का सबसे बड़ा फायदा यह है कि इसमें विधान मंडलों के सभी दलों को उचित प्रतिनिधित्व मिल जाता है। इस प्रणाली

में ऐसा नहीं हो सकता कि किसी दल को मिलने वाला मत–प्रतिशत तो कम हो लेकिन उसे अन्य दलों से अधिक सीटें मिल जाये और वह दल सरकार भी बना ले जबकि भारत जैसे प्रत्यक्ष मतदान प्रणाली वाले देशों में अक्सर ऐसा होता है, कि कम मत पाने वाला दल भी सरकार में जा बैठता है और अपेक्षाकृत अधिक मत प्रतिशत बंटोरने वाले दल को विपक्ष में बैठना पड़ता है।

लोकतंत्र में जनता का विश्वास जमाए रखने ने भी ने भी सूची प्रणाली कारगार साबित होती है, क्योंकि इसमें किसी मतदाता का वोट बेकार नहीं जाता है।

सूची प्रणाली के कारण उपचुनावों की नौबत भी नहीं आती है, क्योंकि यदि कोई सीट, उम्मीदवार की मृत्यु या उसके त्यागपत्र के कारण रिक्त हो जाती है, तो सूची के क्रम का अगला उम्मीदवार स्वतः ही विजयी घोषित हो जाता है। इस प्रणाली में राजनैतिक स्थिरता भी बनी रहती है, क्योंकि सिद्धान्तविहीन निर्दलीय उम्मीदवारों के लिए सूची प्रणाली में कोई जगह नहीं होती है। जैसा कि हम पहले भी कह चुके हैं कोई भी प्रणाली न तो 'परफैक्ट' है, और न ही सर्वोत्तम, इसलिये सूची प्रणाली में कुछ कमियां है।

सूची प्रणाली में राजनीतिक दलों की बहुलता होती है, जिसे कारण राजनैतिक अस्थिरता पैदा होती है, क्योंकि बड़े–बड़े दलों में कई छोटे–छोटे गुट बन जाते हैं जो अपने–अपने ढंग से सरकार को चलाना चाहते हैं। इसके अलावा सूची प्रणाली में मतदाताओं के सामने विकल्पों का भी अभाव होता है। राजनीतिक दलों द्वारा दी गयी सूची को या तो मतदाता को स्वीकार करना पड़ता है, या फिर पूरी सूची को अस्वीकार करना पड़ता है। सूची प्रणाली छोटे–छोटे देशों में तो कारगर है, लेकिन भारत जैसे विशाल जनसंख्या वाले देश में यह प्रणाली संभव नहीं हो सकती। फिलहाल हॉलैण्ड, फिनलैण्ड, डेनमार्क, बेल्जियम, नार्वे और स्वीडन जैसे देशों में सूची प्रणाली के जरिये ही चुनाव सम्पन्न कराये जाते है।

इस प्रकार हम देख चुके है कि विभिन्न लोकतांत्रिक देशों में अलग–अलग चुनाव पद्धतियां लागे है, लेकिन इन सबका मकसद एक ही है, जनता का शासन स्थापित करना, सत्ता में जनता की भागीदारी सुनिश्चित करना और महत्वपूर्ण राजनीतिक फैसले जनता की राय के आधार पर लेना। चुनाव पद्धति कोई भी हो यदि उसे ईमानदारी से लागू किया जाये तो लोकतंत्र के सभी उद्देश्य आसानी से प्राप्त किये जा सकते हैं। लोकतांत्रिक शासन पद्धति के अन्तर्गत आने वाली सभी प्रणालियों के अपने–अपने गुण–दोष भी हैं, लेकिन यदि चुनाव सम्पन्न कराने वाली संस्था के मन की सच्चाई ईमानदार हो और वह लोकतांत्रिक मूल्यों में आस्था रखती हो तो किसी भी प्रणाली को सर्वश्रेष्ठ, सर्वोत्तम और परफैक्ट बनाया जा सकता है।[11]

सन्दर्भ ग्रन्थ सूची

1. एच0 क्रेगांजी, *'निर्वाचन विधि और प्रक्रियाएं'*, लोकतंत्र समीक्षा, नई दिल्ली, (आई0सी0पी0एस0), जनवरी–मार्च, 1970, पृ0 **80**
2. दैनिक भास्कर, दैनिक समाचार पत्र, ग्वालियर, 01 नवम्बर, 2003, पृ **09**
3. रामकृष्ण पाण्डेय, *'भारतीय प्रजातंत्र प्रक्रिया एवं नागरिक असंतोष'*, पब्लिकेशन स्कीम, जयपुर, 1994, पृ0 **12**

4. अंतिमा वाजपेयी, *'भारतीय निर्वाचन पद्धति एक समीक्षात्मक अध्ययन',* नार्दन बुक सेन्टर, दिल्ली, 1992, पृ0 **35**
5. पद्मनाथ शर्मा, *'भारत में निर्वाचन राजनीति स्वरूप एण्ड संस'*, नई दिल्ली, 1993, पृ0 **21**
6- C.P. Bhandari, *Politics in India*, Shipra Publication, Delhi, 1992, pp. **18**
7- H.C. Heda, *Elections in Britain,* Allied Publisher, Mumbai, 1961, pp. **27**
8- Sharda Paul, *General Elections in India,* Associated Publishing House, Delhi, 1980, pp. **42**.
9. सुषमा यादव, राम अवतार शर्मा, *'भारतीय राजनीति ज्वलंत प्रश्न'*, हिन्दी माध्यम कार्यान्वय निदेशालय, दिल्ली विश्वविद्यालय, दिल्ली, 1994, पृ0 **243**
10. वही, पुस्तक, पृ0 **244**
11. डॉ0 निशांत सिंह एण्ड स्वप्निल सारस्वत, *'लोकतंत्र और चुनाव सुधार',* वर्ष 2003, पृ0 **13**